संख्या– / जी0एस0(शिक्षा) / A4-176 / 2019

प्रेषक,

डा. रंजीत कुमार सिन्हा
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
सुद्धोवाला, देहरादून।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : देहरादून : दिनांक : 20 सितम्बर, 2022

महोदय,

कृपया विश्वविद्यालय के पत्र सं०–2165 व पत्र सं०–2166, दिनांक 21 जनवरी, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कॉलेज ऑफ फार्मेसी रूड़की, 05 किमी0 रूड़की–हरिद्वार रोड, कैनाल रोड, ग्राम–बाजुहेड़ी, रूड़की जिला हरिद्वार को बी0फार्मा0 पाठ्यक्रम में सत्र 2021–22 की सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2. तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्था, निरीक्षण मण्ड़ल, कुलपति व कुलसचिव, वी०मा०सिं०भ० उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा अद्यतन संशोधित) की धारा–24(2) के अधीन निम्न संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु छात्रहित में मा0 कुलाधिपति द्वारा पूर्वानुमोदन निम्नवत् उपबन्धों के साथ प्रदान किया गया है :–

क्रमांक	संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
01	कॉलेज ऑफ फार्मेसी रूड़की, 05 किमी0 रूड़की–हरिद्वार रोड, कैनाल रोड, ग्राम–बाजुहेड़ी, रूड़की जिला हरिद्वार	बी0 फार्मा0	60 सीट	सत्र 2020–21 हेतु
			60 सीट	सत्र 2021–22 हेतु

(1) विश्वविद्यालय, यू०जी०सी०, नियामक संस्था व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित शर्तों / उपबन्धों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के आदेश निर्गत करें व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध कराये।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2020–21 की अस्थाई सम्बद्धता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जायेगी कि संस्थान द्वारा प्राभूति / एफ0डी0 नवीनीकृत किया जायेगा तथा भूमि के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट कराई जायेगी।

(3) सत्र 2021–22 के प्रस्ताव में कार्यशील पूंजी के अद्यतन अभिलेख प्राप्त नहीं हैं, जिसकी पूर्ति विश्वविद्यालय व संस्थान द्वारा किये जाने के प्रतिबन्ध के साथ सत्र 2021–22 की सम्बद्धता निर्गत की जायेगी।

(4) विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा Society Registration Act के अन्तर्गत निर्धारित Legal Obligation पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में साक्ष्य सहित आख्या एक माह के भीतर इस सचिवालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) यदि संस्थान द्वारा एक या एक से अधिक विश्वविद्यालय से पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्राप्त की गई हो तो संस्थान समस्त पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता को एक साथ रखकर पाठ्यक्रमवार मानक पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में आख्या संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी तथा संस्थान से प्राप्त आख्या विश्वविद्यालय द्वारा इस सचिवालय को उपलब्ध कराई जायेगी।

(6) यदि किसी पाठ्यक्रम के तकनीकी मानक राष्ट्रीय स्तर के किसी नियामक संस्था द्वारा निर्धारित नहीं किये हों तो 03 माह के अन्दर सम्बन्धित पाठ्यक्रम के मानक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये जायेगें।

क्रमशः 2 पर

(7) संस्थान की Annual Balance Sheet सम्बन्धी साक्ष्य की सत्यापित प्रति प्राप्त कर विश्वविद्यालय द्वारा इस सचिवालय को उपलब्ध कराई जायेगी।

(8) विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों की गुणवत्ता और व्यवहारिक शिक्षा में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गये। संस्थानों द्वारा छात्रों की प्रायोगिक शिक्षा और इंटर्नशिप/विजिट के लिए किन समूहों, विभागों एवं कंपनियों के साथ समझौता (MoU) किया गया है। तत्सम्बन्धी अभिलेख एक माह के भीतर अनिवार्य रूप से इस सचिवालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें अन्यथा कि स्थिति में संस्थान की सम्बद्धता निरस्त कर दी जाएगी साथ ही अग्रेत्तर सत्रों की सम्बद्धता के सम्बन्ध में कोई विचार नहीं किया जाएगा।

(9) अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव यू0जी0सी0 विनियम/नियामक संस्था एवं विश्वविद्यालय, शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायेंगे अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नही किया जायेगा जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

(10) शासन द्वारा दिनांक 28.10.2020 से उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता आदेश निर्गत करते समय इसका संज्ञान रखा जायेगा।

तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा. रंजीत कुमार सिन्हा)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या–2335(1)/जी0एस0(शिक्षा)/A4-176/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य/प्रबन्धक, कॉलेज ऑफ फार्मेसी रूड़की, 05 किमी0 रूड़की–हरिद्वार रोड, कैनाल रोड, ग्राम–बाजुहेड़ी, रूड़की जिला हरिद्वार
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस0 भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।